<u>ई-मेल</u>

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,

फर्रूखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

पत्रांक : 979 / XV, फर्रूखाबाद : दिनांक : जून 04 , 2020

विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 20.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 20.05.2020 में कम संख्या IV पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद के पत्रांक 5423/ओ0एस0डी0-20 (कोरोना), दिनांकित 12.05.2020 से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार जनपद फर्रूखाबाद को **<u>ऑरेंज जोन</u>** में घोषित किया गया है। कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा प्रेषित सूचना दिनांकित 21.05.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद, वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज एवं लोको स्थित न्यायालय ए0सी0जे0एम0, रेलवे परिसर कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में **<u>ऑरेंज जोन</u>** के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए विभिन्न मूल न्यायालयों में ओपन कोर्ट व वर्चुअल कोर्ट रूम की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत सुनवाई की गयी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, फर्रूखाबाद की आख्या दिनांकित 04.06.2020 के अनुसार इस अधिष्ठान में ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न 16 न्यायालय व कार्यालय संचालित किये गये, जिनमें 50 प्रतिशत (75) तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

प्रभारी केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांकित 04.06.2020 के अनुसार न्यायालय खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर की साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनर से चेक-अप किया गया तथा उपस्थित सभी लोगों द्वारा सामाजिक दूरी रखकर व मास्क लगाकर कार्य किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हेतु मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आज दिनांक 04.06.2020 को 50 प्रतिशत (68) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट दिनांकित 04.06.2020 के अनुसार जनपद में दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या 103, कोरोना टेस्ट की कुल संख्या 1692, टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट की कुल संख्या 1444, अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या 248, **पाजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या 39,** निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या 1405 तथा आज प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 32 है। आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस अधिष्ठान में दिनांक 04.06.2020 को 14 जमानत प्रार्थना पत्र, 08 फौजदारी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0, 03 फौजदारी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 155(2) द0प्र0सं0, 01 भरण पोषण वाद अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0, 01 रिलीज प्रार्थना पत्र, 08 वाद एम0वी0 एक्ट, 02 परिवाद, 01 परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम, 07 आरोप पत्र, 01 परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, 03 वाद रेलवे अधिनियम, 03 आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र, 02 फौजदारी अपील, 01 फौजदारी निगरानी व 03 प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र दाखिल हुए, इस प्रकार कुल **58** नवीन वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये।

15 जमानत प्रार्थना पत्र, 12 अन्तिम आख्या, 19 वाद एम0वी0 एक्ट, 03 वाद रेलवे अधिनियम, 01 फौजदारी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0, 01 प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र व 06 फौजदारी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 155(2) द0प्र0सं0 का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल **57** प्रार्थना पत्र/वाद निस्तारित हुए, जिनमें से 03 जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रभारी जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा वर्चुअल कोर्ट के माध्यम

से किया गया। कुल संस्थित व निस्तारित वादों/प्रार्थना पत्रों में से वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज में 01 जमानत प्रार्थना पत्र, तथा 01 फौजदारी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0, कुल 02 नवीन वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। 11 वाद एम0वी0 एक्ट, 02 फौजदारी प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 155(2) द0प्र0सं0, कुल 13 नवीन वाद/प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। सम्बन्धित विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये वेबलिंक पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।
04.06.2020

पत्रांक :   /   , फर्रुखाबाद : दिनांक : जून   , 2020

प्रतिलिपि :- निजी सचिव/उपनिबन्धक (माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, फर्रुखाबाद परिक्षेत्र), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोपरि।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

मानीय जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।

महोदय,

कोरोना वायरस (कोविड–19) सैम्पल की दैनिक रिपोर्ट जनपद–फर्रुखाबाद। दिनांक–[illegible]

जनपद का नाम	दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या	कोरोना टेस्ट की कुल संख्या	टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जाँच रिपोर्ट की कुल संख्या	अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या	पॉजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या	निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
FARRUKHABAD	103	1692	1444	248	39	1405	32

ह०/ [illegible]

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फर्रुखाबाद।